

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपूर्ति शाखा)
पत्रांक 502/380

प्रयक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार पटना।

मधेपुरा, दिनांक 02.07.16

विषय- राशन कार्ड के सत्यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के SECC डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 3138 दिनांक 26.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि मधेपुरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र की SECC डाटा तकनीकी तौर पर अपूर्ण है। तत्संबंधी पूर्ण डाटा उपलब्ध कराने हेतु पत्र के माध्यम से भी अनुरोध किया गया तथा कई बार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी प्राधिकृत किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा पूर्ण डाटा प्राप्त करने हेतु विभाग से सम्पर्क किया गया, परन्तु उनके प्रयास के बाद भी उक्त डाटा अतक विभाग से नहीं मिल सका है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के राशन कार्ड की जाँच लंबित है। जबकि शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड की जाँच लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के डाटा की तकनीकी तौर पर जाँच तथा डाटा प्राप्त करने के लिए, विभाग के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को विभाग में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त निर्देश के आलोक में दिनांक 02.07.2016 को 10:00 बजे पूर्वान्ह में विभाग में उपस्थित रहने तथा ग्रामीण क्षेत्र की डाटा विभाग से प्राप्त करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

समाहरणालय, मधेपुरा
(आपूर्ति शाखा)
पत्रांक.....आ०

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मधेपुरा

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार पटना।

मधेपुरा, दिनांक

विषय:-

राशन कार्ड के सत्यापन हेतु ग्रामीण क्षेत्र के SECC डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:-

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना का पत्रांक ३४३८ दिनांक २६.०६.
२०१६


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि मधेपुरा जिला के ग्रामीण क्षेत्र की SECC डाटा तकनीकी तौर पर अपूर्ण है। तत्संबंधी पूर्ण डाटा उपलब्ध कराने हेतु पत्र के माध्यम से भी अवरोध किया गया तथा कई बार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भी प्राधिकृत किया गया। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को द्वारा पूर्ण डाटा प्राप्त करने हेतु विभाग से सम्पर्क किया गया, परन्तु उनके प्रयास के बाद भी उक्त डाटा अवतक विभाग से नहीं मिल सका है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के राशन कार्ड की जाँच लंबित है। जबकि शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड की जाँच लगभग पूर्ण कर लिया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के डाटा की तकनीकी तौर पर जाँच तथा डाटा प्राप्त करने के लिए, विभाग के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के साथ जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को विभाग में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त निर्देश के आलोक में दिनांक ०५/०७/२०१६ को १०:०० बजे पूर्वाह्न में विभाग में उपस्थित रहने तथा ग्रामीण क्षेत्र की डाटा विभाग से प्राप्त करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा एवं जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को प्राधिकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन



जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापक.....५०२...../आ० मधेपुरा, दिनांक ०२/०३/१६

प्रतिलिपि:- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा/जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनाय अनुपालनाय प्रेषित।
निर्देश है कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना में ससमय उपस्थित रहकर उक्त डाटा प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।


जिलाधिकारी,
मधेपुरा।